संख्या-1/2017/1415/78-1-2016-53आई.टी./2015

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 6,50,000,00/- (रूपये छः करोड पच्चास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 6,50,000,00/- (रूपये छः करोड पच्चास लाख मात्र) को वहन करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सैंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड] लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष कर लिया जायेगा।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्षक 2852-उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-16-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 का कार्यान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) भुगतान मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया जायेगा तथा लेखा शीर्षक 2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-16-सूचना प्रौद्योंगिकी नीति 2012 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी मद के नामे डाला जायेगा। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति पुनर्विनियोग से संबंधित प्रपत्र संलग्न है।

(11) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0प0सं0-ई-6-762/दस-2016, दिनांक 13-12-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-उपरोक्त</u>

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-1/2017/1415(1)/78-1-2016 तददिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबद।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई.टी एवं इले. अनु-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in